

दवियांग वयक्तयिों का समावेशन और सशक्तीकरण

यह एडटोरियल 15/07/2020 को 'द हट्टि' में प्रकाशित "The great omission in the draft disability policy" लेख पर आधारित है। इसमें भारत में दवियांग वयक्तयिों के समावेशन और सशक्तीकरण के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

नःशक्तीता दवियांगजन और उन अभवित्तिके एवं परविशीय अवरोधों के बीच की अंतःक्रिया से उत्पन्न होती है जो दूसरों के साथ समान आधार पर समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालती है।

- **वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार** अखिल भारतीय स्तर पर दवियांगजनों की संख्या कुल जनसंख्या का 2.21% थी, जिसमें से 7.62% दवियांगजन 0-6 वर्ष आयु वर्ग के हैं।
- भारत ने दवियांग वयक्तयिों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किये थे और फरि 1 अक्टूबर, 2007 को इसकी पुष्टि भी की। एक नए दवियांगता कानून (**दवियांगजन अधिकार अधिनियम, 2016**) के अधिनियमन ने दवियांगता की संख्या को 7 स्थितियों से बढ़ाकर 21 कर दिया।
- नःशक्तीताओं पर ध्यान वयक्तसे हटकर समाज की ओर स्थानांतरित हो गया है, अर्थात यह नःशक्तीता के चकितिसा मॉडल से नःशक्तीता के सामाजिक या मानवाधिकार मॉडल में स्थानांतरित हो गया है।

नःशक्तीता के वभिन्न मॉडल कौन-से हैं?

- **चकितिसा मॉडल (Medical Model):**
 - चकितिसा मॉडल में कुछ शारीरिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक नःशक्तीताओं से ग्रस्त वयक्तयिों को दवियांग माना जाता है।
 - इसके अनुसार नःशक्तीता वयक्त में नहिति होती है क्योंकि इसे नरुिग्नता, उपचार और पुनर्वास के माध्यम से परविश के साथ समायोजन के बोझ सहित गतिविधि के प्रतर्बंधों के समान देखा जाता है।
- **सामाजिक मॉडल (Social Model):**
 - सामाजिक मॉडल उस समाज पर ध्यान केंद्रित करता है जो दवियांगजनों के व्यवहार पर अनुचित प्रतर्बंध लगाता है।
 - इसके अंतर्गत नःशक्तीता वयक्तयिों में नहीं, बल्कि वयक्तयिों और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में होती है।

भारत में दवियांगजनों के लिये संवैधानिक ढाँचा

- **राज्य नीति के नदिशक सदिधांतों** (DPSP) के अंतर्गत अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शक्ति पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और नःशक्तीता तथा अन्य अनरह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।
- **संवैधानिक सातवीं अनुसूची** की राज्य सूची में 'दवियांगजनों और बेरोज़गारों को राहत' का वषिय नरिदषिट है।

भारत में दवियांगजनों से संबंधित प्रमुख समस्याएँ

- **भेदभाव:**
 - दवियांगजनों से संबद्ध 'कलंक' के आधार पर नरितर भेदभाव के साथ ही उनके अधिकारों के बारे में समझ की कमी उनके लिये अपने मूल्यवान शक्तीता या कार्यकरण (Functioning) की प्राप्ति करना अत्यंत कठिन बना देती है।
 - दवियांग महिलाएँ और बालकिएँ यौन और लिंग-आधारित हिसा के अन्य रूपों का अनुभव करने का अधिक जोखिम रखती हैं।
- **स्वास्थ्य:**
 - कई प्रकार की नःशक्तीता नविरण-योग्य होती है। इनमें जन्म के दौरान चकितिसा संबंधी समस्याएँ, गर्भवती स्त्री से संबद्ध समस्याएँ, कुपोषण के साथ ही दुर्घटनाओं और आघातों से उत्पन्न होने वाली नःशक्तीताएँ शामिल हैं।
 - लेकिन जागरूकता की, देखभाल की और अच्छी एवं सुलभ चकितिसा सुवधाओं की व्यापक कमी की स्थिति है।

■ शिक्षा और रोज़गार:

- दवियांगजनों के लिये विशेष वदियालयों, वदियालयों तक पहुँच, प्रशिक्षित शिक्षकों और शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता की कमी है।
- भले ही कई दवियांग वयस्क उत्पादक कार्य करने में सक्षम होते हैं, दवियांग वयस्कों की रोज़गार दर सामान्य आबादी की तुलना में बहुत कम है।

■ राजनीतिक भागीदारी:

- देश में राजनीतिक क्षेत्र से दवियांगजनों का बहरिवेशन राजनीतिक प्रक्रिया के सभी स्तरों पर और विभिन्न तरीकों से घटित होता है, जैसे:
 - नरिवाचन क्षेत्रों में दवियांगजनों की सही संख्या पर उपलब्ध समग्र डेटा का अभाव।
 - मतदान प्रक्रिया की दुर्गमता (जैसे बरेल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का व्यापक उपयोग नहीं किया जाता)।
 - दलगत राजनीति में भागीदारी के मार्ग में बाधाएँ।
- भारत में राजनीतिक दल दवियांगजनों को किसी बड़े या मज़बूत मतदाता वर्ग के रूप में नहीं देखते हैं क उनकी आवश्यकताओं को विशेष रूप से संबोधित करें।

■ प्रवर्तन की शक्ति:

- दवियांगजनों की स्थिति में सुधार के लिये सरकार ने कुछ सराहनीय पहलें की हैं।
 - लेकिन भारत सरकार द्वारा 'सुगम्य भारत अभियान' (Accessible India Campaign) के तहत सभी मंत्रालयों को अपने भवनों को दवियांगजनों के अनुकूल बनाने के नरिदेश के बावजूद भारत में अधिकांश भवन दवियांगजनों के अनुकूल नहीं हैं।
 - इसी प्रकार, **दवियांगजन अधिकार अधिनियम** (Rights of Persons with Disabilities Act) ने सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में दवियांगजनों के लिये आरक्षण का एक कोटा प्रदान किया है, लेकिन इनमें से अधिकांश पद खाली हैं।

आगे की राह

■ नविरक कार्यक्रम:

- नविरक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है और आरंभिक बाल्यावस्था में सभी बच्चों की स्क्रीनिंग या परीक्षण किया जाना चाहिये।
- केरल ने पहले ही एक आरंभिक नविरक कार्यक्रम शुरू कर दिया है।
 - व्यापक नवजात स्क्रीनिंग (Comprehensive Newborn Screening- CNS) कार्यक्रम शिशुओं में कमियों की आरंभ में ही पहचान कर लेने और इस प्रकार राज्य पर नःशक्तता का बोझ कम करने का लक्ष्य रखता है।

■ समुदाय-आधारित पुनर्वास (Community-Based Rehabilitation- CBR) दृष्टिकोण:

- यह सुनिश्चित करने के लिये CBR दृष्टिकोण की आवश्यकता है कि दवियांगजन अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर सकें, नयिमति सेवाओं एवं अवसरों तक उनकी पहुँच हो और अपने समुदायों के भीतर वे पूर्णतः एकीकृत हो सकें।

■ नःशक्तता के संबंध में समझ और जन जागरूकता बढ़ाना:

- सरकारों, स्वयंसेवी संगठनों और व्यावसायिक संघों को ऐसे सामाजिक अभियान चलाने पर विचार करना चाहिये जो दवियांगजनों से संबंधित कलंकित मुद्दों पर समाज के दृष्टिकोण में बदलाव ला सकें।
 - इस संदर्भ में मुख्यधारा मीडिया ने सही कदम आगे बढ़ाया है जहाँ 'तारे ज़मीन पर' और 'बर्फ़ी' जैसी फिल्मों में दवियांगजनों का सकारात्मक प्रतिनिधित्व किया गया है।
 - 'स्पेशल नीड' लेबल वाले विशेष वदियालय कलंक या नकारात्मक संकेतार्थ उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ छात्रों के पास केवल विशेष आवश्यकता वाले साथियों से ही संवाद करने और सीखने का अवसर होगा।
 - वे प्रभावों की एक वसित शृंखला के संपर्क में नहीं आ सकेंगे।
 - दवियांगजनों के बीच समावेशिता को बढ़ावा देने के लिये विशेष वदियालयों और बाहरी दुनिया के बीच संक्रमण का एक उचित माध्यम होना चाहिये।

■ राज्यों के साथ सहयोग:

- गर्भवती माताओं की देखभाल के बारे में जागरूकता और ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी एवं सुलभ चिकित्सा सुविधाएँ नःशक्तता उत्पन्न होने की समस्या को संबोधित कर सकने के महत्त्वपूर्ण स्तंभ हैं।
 - इन दोनों ही वषियों में कार्रवाई कर सकने हेतु स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्तीय वकेंद्रीकरण के लिये केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से समर्थन दिया जाना चाहिये क्योंकि स्वास्थ्य संविधान में 'राज्य सूची' के अंतर्गत शामिल है।

दवियांगजनों के सशक्तीकरण के लिये हाल की कुछ प्रमुख पहलें

■ भारत में:

- **वशिष्ट नःशक्तता पहचान पोर्टल** (Unique Disability Identification Portal)
- **सुगम्य भारत अभियान** (Accessible India Campaign)
- **दीनदयाल दवियांग पुनर्वास योजना** (DeenDayal Disabled Rehabilitation Scheme)
- दवियांगजनों के लिये सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग में सहायता की योजना (Assistance to Disabled Persons for Purchase/fitting of Aids and Appliances)
- दवियांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फ़ेलोशिप (National Fellowship for Students with Disabilities)

■ विश्व स्तर पर:

- एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दवियांगजनों के लिये 'अधिकारों को साकार करने' हेतु इंचियोन कार्यनीति (Incheon Strategy to "Make the Right Real" for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific)।
- दवियांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (United Nations Convention on Rights of Persons with Disability)।

- [अंतरराष्ट्रीय दवियांगजन दविस](#) (International Day of Persons with Disabilities)
- दवियांगजनों के लये संयुक्त राष्ट्र सदिधांत (UN Principles for People with Disabilities)

अभ्यास प्रश्न: दवियांगजन अधकार अधनियम भारत में दवियांगजनों के समावेशन और सशक्तकिरण को कहाँ तक आगे बढ़ा सकेगा? चर्चा कीजिये ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/inclusiveness-and-empowerment-of-persons-with-disabilities>

